Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Revenue Appeal No.- 15 /2019

Abdul Mannan .... Appellant

Versus

Most. Rubeda Khatoon & Ors ….. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	12-03-24	**–:आदेश:–** प्रस्तुत Revenue (Mutation) Appeal न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0–759/2002–03 में दिनांक– 28.01.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षा को सुना। अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। प्रस्तुत मामले में प्र” नगत भूमि का नामांतरण अंचल अधिकारी, मनिहारी द्वारा नामांतरण वाद सं0–551/1985–86 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी, कटिहार द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0–14/2002–03 में दिनांक– 30.9.2002 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0–759/02–03 दायर किया गया जिसमें दिनांक– 28.01.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा यह द्वितीय पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। जबकि ‘‘बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 की धारा–17’’ के अंतर्गत समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के नामांतरण पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में ‘‘द्वितीय पुनरीक्षण’’ का प्रावधान बिहार अधिनियम सं0–28, 1975 के आलोक में समाप्त कर दिया गया है। वर्त्तमान में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9(7)(क) के तहत भी यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत अपील वाद को इस न्यायालय में ‘‘पोषणीय नही’’ (Not Maintainable) पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.